शहरी नियोजन और डिजाइन में उत्कृष्टता के केंद्रों के रूप में शैक्षणिक संस्थानों को चिन्हित करने के लिए दिशानिर्देश

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

सितंबर, 2022

1. पृष्ठभूमि

1.1 केंद्रीय बजट 2022-23 के भाषण में, माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि "शहरी नियोजन और डिजाइन में भारत के विशिष्ट ज्ञान के विकास के लिए, और इन क्षेत्रों में प्रमाणित प्रशिक्षण देने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में पांच मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में नामित किया जाएगा। इन केंद्रों में प्रत्येक को 250 करोड़ रुपये की अक्ष्य निधि प्रदान की जाएगी। इस संबंध में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में पांच शैक्षणिक संस्थानों को चिन्हित करने के लिए शहरी नियोजन और डिजाइन में ज्ञान प्रदान करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में नामित करने के का कार्य आरंभ किया है।

1.2 उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में संस्थानों को चिन्हित करने और उन्हें नामित करने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय), नीति आयोग के अधिकारियों और प्रमुख क्षेत्र विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया था।

1.3 तदनुसार समिति ने शहरी नियोजन और डिजाइन में ज्ञान प्रदान करने वाले प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से उत्कृष्टता केंद्रों को चिन्हित करने और तत्पश्चात् उन्हें उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में नामित करने के लिए एक उचित प्रक्रिया स्थापित की है। चिन्हित सीओई से शहरी नियोजन और डिजाइन आधारित उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए अपने तंत्र में उपयुक्त संस्थागत/संगठनात्मक व्यवस्था करने, वास्तविक रूप से शहरी नियोजन परिणामों में सुधार करने वाले उच्च गुणवत्तापूर्ण अनुसंधानों और परियोजनाओं को विकसित करने, उद्योग - शिक्षा - सरकार और नागरिक समाज की भागीदारी को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने कि प्रमाणित प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, की आशा की जाती है।

2. उत्कृष्टता केंद्रों के परिकल्पित कार्य

2.1 "उत्कृष्टता केंद्र" के रूप में संस्थान:

क) शहरी नियोजन और डिजाइन में 'अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थान' बनने का लक्ष्य रखेंगे।
ख) नवाचार, ज्ञान सृजन, सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और अकादमिक-उद्योग-सरकार और नागरिक समाज के निरंतर जुड़ाव के लिए मंच तैयार करने हेतु उत्प्रेरक बनकर देश में शहरी नियोजन और डिजाइन में नेतृत्व के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे।
ग) शहरी नियोजन, शहरी डिजाइन और संबद्ध क्षेत्रों में एक अंतःविषय मंच के रूप में कार्य करेंगे।
घ) यूएलबी, यूडीए, राज्य नगर एवं ग्राम नियोजन संगठनों, केंद्र सरकार के संगठनों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ भागीदारी को बढ़ावा देंगे।
ड.) सूझ-बूझ रखने वाले शहर निर्णायकों के पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु विभिन्न सरकारी, गैर-सरकारी और निजी संगठनों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करेंगे और अनुसंधान अवसरों की अनुमति देंगे।

च) उस विशेष क्षेत्र के लिए शहरी नियोजन और डिजाइन के सभी पहलुओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे, प्रशिक्षण में व्यापक क्षमता प्रदान करने के लिए और पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण के लिए पूरक संस्थानों के साथ साझेदारी करेंगे।
छ) सफलताओं, नेटवर्कों, प्रक्रियाओं को साझा करने और विफलताओं से सीखने के लिए अन्य चयनित उत्कृष्टता केंद्रों के साथ सहयोग करेंगे।
ज) स्थानीय संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुसंधान को प्रासंगिक बनाते हुए नियोजन

और सतत प्रथाओं की भारतीय पारंपरिक प्रणालियों के प्रलेखन में सुधार करेंगे।

एक प्रतिष्ठित शहरी योजनाकार/शहरीवादी उत्कृष्टता केंद्रों का नेतृत्व करेंगे और समय-समय पर आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों/सलाहकारों/परामर्शदाताओं/आरए और प्रशासनिक कर्मचारियों की एक टीम उनकी सहायता करेगी। शिक्षाविद या पेशेवर व्यवसायी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यदि पेशेवर व्यवसाय से अध्यक्ष बनाया जाता है, तो यह अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्ति कम से कम तीन वर्षों के लिए उत्कृष्टता केंद्रों का नेतृत्व करने के लिए उपलब्ध रहेगा। उत्कृष्टता केंद्रों के अध्यक्ष को शहरी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए और सरकार के साथ मजबूत जुड़ाव बनाने में सक्षम होना चाहिए।

3. सीओई के पदनाम के लिए पात्रता मानदंड

3.1 आमंत्रण पत्र (अनुलग्नक-I) भारत में शहरी नियोजन और डिजाइन में शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को भेजा जा रहा है। किसी अन्य संस्थान से प्रतिक्रिया स्वीकार नहीं की जाएगी।

3.2 संपूर्ण भारत के वे शैक्षणिक संस्थान आवेदन कर सकते हैं जहां शहरी नियोजन और शहरी डिजाइन के संकाय हैं। संस्थान उन क्षेत्रों में स्नातक, स्नातकोत्तर/डॉक्टरेट स्तर पर पाठ्यक्रम शामिल करेगा, जिसमें वास्तुकला, शहरी नियोजन, क्षेत्रीय योजना, पर्यावरण, बुनियादी ढांचा, आवास, शहरी डिजाइन और शहरी प्रबंधन शामिल हैं, परंतु उनका पाठ्यक्रम इन तक सीमित नहीं है।

3.3 इच्छुक संस्थानों को केवल अनुलग्नक-II में दिए गए प्रारूपों का उपयोग करके इस आमंत्रण पत्र का जवाब देना चाहिए। कोई अन्य प्रारूप स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3.4 प्रस्ताव केवल खंड 2 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत किए जाने चाहिए। प्रक्रिया से किसी भी प्रकार से भिन्न होने पर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.5 पूर्ण रूप से अंग्रेजी में प्रस्तुत प्रस्तावों को ही स्वीकार किया जाएगा। यदि प्रस्ताव का कोई घटक मूल रूप से अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें अनुप्रमाणित अनुवाद के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।

3.6 एक संस्थान से केवल एक ही प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। एक संस्थान से कई प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.7 संस्थान, शहरी नियोजन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए बहु-अनुशासनात्मक पेशकश प्रदान करने हेतु शहरी नियोजन में शहरी वित्त, शहरी बुनियादी ढांचे, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग जैसे पूरक/विशिष्ट कौशल प्राप्त करने के लिए क्षेत्र के अन्य संस्थानों के साथ सहयोग कर सकता है।

3.8 प्रस्तुत प्रस्तावों में कोई भी विसंगति और गलत जानकारी पाए जाने पर प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.9 प्रस्ताव सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। अधूरे प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.10 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्तुत प्रस्ताव को

अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है।

4. उत्कृष्टता केंद्रों को चिन्हित करने के लिए मूल्यांकन मानदंड

4.1 विशेषज्ञ समिति द्वारा योग्य पाए गए संस्थानों की आगे मूल्यांकन मानदंड पर जांच की जाएगी। मूल्यांकन मानदंड के लिए सांकेतिक वेटेज इस प्रकार हैं:

क्रम सं0	मूल्यांकन मानदंड	विवरण	वेटेज
1	वर्ष जब से संस्था शहरी नियोजन और डिजाइन में शिक्षा प्रदान कर रही है	संस्थान का अस्तित्व - कम से कम 15 वर्ष शहरी नियोजन / शहरी डिजाइन में स्नातकोत्तर और उससे ऊपर के पाठ्यक्रम - कम से कम 10 वर्ष	15
2	(क) वर्तमान में संस्थान में पूर्णकालिक संकाय शिक्षकों की कुल संख्या (ख) वर्तमान में संस्थान में अतिथि शिक्षकों की कुल संख्या	पूर्णकालिक संकाय शिक्षक: 15 अल्पकालिक संकाय शिक्षक:15 उत्कृष्टता केंद्रों संबंधित क्रियाकलापों के लिए अलग से उपलब्ध कराए जाने वाले नामित शिक्षक।	15
3	संस्थान के भौतिक बुनियादी ढांचे और उपकरणों का विवरण जैसे सम्मेलन हॉल, सभागार, और संस्थान के परिसर के भीतर स्वामित्व वाली कंप्यूटर प्रयोगशालाएं	एक बैच में कम से कम 50 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयुक्त आंतरिक बुनियादी ढांचा।	15
4	पिछले 10 वर्षों में यूजी / पीजी / डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	200 से कम (2 अंक) 200 से अधिक (4 अंक) 400 से अधिक (6 अंक) 600 से अधिक (10 अंक)	10
5	पिछले 5 वर्षों में सरकारी और निजी क्षेत्र के पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियों में भागीदारी	प्रशिक्षित लोगों की संख्या आयोजित प्रशिक्षक सत्रों के प्रशिक्षण की संख्या समारोह आयोजित करने और संबंधित गतिविधियों की सूची ।	10

6	टीम लीडर और उप टीम लीडर की पहचान जो कम से कम 3 वर्षों के लिए सीओई का नेतृत्व कर सकते हैं	प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय सीवी प्रदान किया जाना है। सुपरिभाषित भूमिकाओं के साथ सीओई का पद संभालने के लिए संगठनात्मक संरचना उपलब्ध कराया जाना।	10
7	पिछले 5 वर्षों की परियोजनाएं और परामर्शी उपलब्धियां और प्रति वर्ष औसत	यूएलबी/डीए/राज्य या केंद्र के साथ विशेष रूप से शहरी नियोजन और डिजाइन मुद्दों जैसे जलाशयों के नवीकरण, हरित स्थान, जगह बनाने और पारंपरिक वास्तुशिल्प और योजना प्रथाओं आदि से संबंधित परियोजनाओं की संख्या।	10
8	पिछले 5 वर्षों में सहयोग, संयुक्त प्रयास और इसी तरह के अन्य कार्य।	अन्य स्थानीय या राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग सह-निर्मित केंद्र यदि कोई हों	10
9	पिछले 5 वर्षों में अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ	संस्थान/संकाय द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों की संख्या प्रशंसा-पत्रों की संख्या, और पेटेंट यदि कोई किसी संस्थान/ संकाय है	5
	कुल		**100**

5. सीओई के रूप में स्थापित किए जाने वाले संस्थाओं को चिन्हित करना

सीओई के रूप में नामित होने के इच्छुक शैक्षणिक संस्थाओं को अनुलग्नक-II में दिए गए विवरण के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्रस्ताव में संस्थान के उद्योग के साथ सहयोग / भागीदारी के प्रस्ताव, विशेष रूप से यूएलबी/ यूडीए और राज्य टी एंड सीपी विभाग मौजूदा प्रोफाइल के बारे में सभी विवरण शामिल होंगे । प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए कि सीओई कैसे प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, अनुसंधान संचालित करने, चिकित्सकों के साथ जुड़ने, ज्ञान सृजन, अन्य संस्थानों के साथ जुड़ने और सहयोग करने, फंड के उपयोग के प्रस्ताव और अन्य सभी प्रासंगिक गतिविधियों सीओई को करने की अपेक्षा की जाती है। सीओई के संबंध में विशेषज्ञ समिति इस दस्तावेज़ की धारा 4 में उल्लिखित पात्रता और मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी।

1. निधिकरण

अक्षय निधि के बारे में

अक्षय निधि एक जमा या उपहार में दी गई धनराशि है, जिसका मूलधन आमतौर पर हमेशा के लिए रखा जाता है और निवेश किया जाता है। रिटर्न का एक हिस्सा संस्थान द्वारा उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसके लिए फंड बनाया गया है, और इसके विकास को सुनिश्चित करने के लिए इसका एक हिस्सा मूलधन में वापस गिरवी रखा जाता है। इस प्रकार अक्षय निधि संस्था के लिए तत्काल वित्त पोषण और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा दोनों का प्रबन्धन करती है ।

अक्षय निधि के लाभ:

वित्तीय स्थिरता: निधियों की सतत प्रकृति वर्ष दर वर्ष निधियों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करती है

जोखिम पूंजी का उपयोग: संस्थान नई पहल कर सकता है जो अन्यथा धन की कमी के कारण नहीं किया जा सकता था।

स्थायित्व: दीर्घावधि के लिए भविष्य के लाभार्थी निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं।

स्थिर छवि- अक्षय निधि वाले संस्थानों को आमतौर पर स्थिर और अधिक परिपक्व माना जाता है

प्रत्येक संस्था को एक ही हिस्से में 250 करोड़ रुपये की अक्षय निधि प्रदान की जाएगी। निधियों को एक उपयुक्त निवेश विकल्प में रखा जा सकता है और इसके ब्याज से उत्पन्न आय का उपयोग अनुसंधान, प्रकाशन, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं के आयोजन, सर्वोत्तम पद्धतियों के प्रलेखन, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रशिक्षकों को काम पर रखना आदि के उद्देश्य से सीओई में गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

खर्च करने की शर्तें:

- अक्षय निधि 25 वर्षों की अवधि तक रहने की उम्मीद है, जिसमें पहले 20 वर्षों के लिए मूल राशि के उपयोग की एक सीमा होगी।
- धन का उपयोग कंप्यूटर लैब, रिमोट सेंसिंग लैब आदि जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि, नए भवनों निर्माण के लिए कितनी धनराशि का उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में एक सीमा निर्धारित की जाएगी।
- संचयी रूप से, किसी भी पूंजी निवेश से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए पहले पांच वर्षों में फंड का केवल 10 प्रतिशत उपयोग किया जा सकता है ।
- प्रथम वर्ष के लिए मूलधन से 5.00 करोड़ रुपये तक वेतन, यात्रा, किराया एवं अन्य राजस्व व्यय के लिए खर्च किया जा सकता है।
- दूसरे वर्ष के बाद से, अक्षय निधि से अर्जित ब्याज का ही उपयोग सीओई के लिए चिन्हित गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- पिछले पांच वर्षों में, धन की मूल राशि का उपयोग पूंजीगत और राजस्व व्यय दोनों के लिए किया जा सकता है और 25 वर्षों के अंत में, निधियों को अलग कर दिया जाएगा और उनका उपयोग किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जिसे संस्थान उपयुक्त समझता है। सीओई द्वारा पहचान करना भी 25 साल की अवधि के अंत में खत्म हो जाएगी'।
- किसी भी परिस्थिति में, इस योजना के तहत चिन्हित किए गए लक्ष्य समूह के अलावा किसी अन्य लक्ष्य समूह के लिए सीओई से जुड़ी हुई किसी भी अन्य गतिविधि के लिए धन का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- जहां तक प्रशिक्षण और सहायता का संबंध है, सीओई प्रतिभागियों से पूर्ण/आंशिक रूप से एक राशि वसूल करेगा और ऐसा कोई भी कार्यक्रम निःशुल्क प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सीओई द्वारा निधि के उपयोग पर रिपोर्ट करने के लिए जवाबदेही की एक प्रणाली स्थापित की जाएगी। प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यह सुनिश्चित करेगा कि अक्षय निधि का उपयोग उस उद्देश्य के अनुसार किया जाता है जिसके लिए इसे स्थापित किया गया है। अगले 25 वर्षों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उपयोग और धन की स्थिति के संबंध में एक अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी। (वित्त वर्ष परिभाषित किया जाना है)

2. सीओई के कामकाज की निगरानी

सीओई के कामकाज की समीक्षा करने और गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए मूल्यांकन ढांचा विकसित किया जाएगा। इस ढांचे के साथ, सीओई के कार्यों को पूरा करने में प्रत्येक संस्थान द्वारा किए गए कार्यो का पता लगाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा। मानकों से नीचे के प्रदर्शन या धन के उपयोग से संबंधित किसी अन्य मुद्दे के मामले में, अधिकृत सीओई की मान्यता खत्म की जा सकती है।

3. प्रस्तावों और शॉर्टलिस्ट के लिए प्रस्तुत करना

पूर्व योग्यता के आधार पर संस्थाओं की संक्षिप्त सूची का प्रस्ताव अनुलग्नक-II में निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों की जांच की जाएगी। स्क्रूटनी के आधार पर केवल उन्हीं संस्थाओं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो

न्यूनतम 70% प्राप्त करते हैं। शॉर्टलिस्ट संस्थाओं को एक प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा जिसका विधिवत मूल्यांकन भी किया जाएगा। प्रस्तुति में स्पष्ट कार्य योजना और परिणामों के साथ बजट भाषण में परिकल्पित सीओई के उद्देश्यों को प्राप्त करने वाली संस्था की भूमिका का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

प्रस्तुतियां निम्नलिखित पते पर 30 अक्टूबर, 2022 तक हार्ड कॉपी में भेजी जा सकती हैं:

सेवा में,
श्री अनूप बर्मन,
अवर सचिव,
कमरा नं. 102जी,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110001

अनुलग्नक-1

संख्या आई-59/2008/टीसीपीओ-मयूटी(373)/अमृत-2ए
भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
(अमृत प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली।
दिनांक 15 सितंबर, 2022

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः मौजूदा अकादमिक संस्थानों को शहरी नियोजन और डिजाइन में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित करने की चुनौती में भाग लेने के लिए आमंत्रण।

अधोहस्ताक्षरी को केंद्रीय बजट 2022-23 की घोषणाओं को संदर्भ लेने का निदेश हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि शहरी नियोजन और डिजाइन में भारत के विशिष्ट ज्ञान के विकास के लिए, और विभिन्न क्षेत्रों के पांच मौजूदा अकादमिक संस्थाओं को, इन क्षेत्रों में प्रमाणिक प्रशिक्षण प्रदान करने लिए उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में नामित किया जाएगा। इन केन्द्रों में प्रत्येक को 250 करोड़ रुपये की अक्षय निधि प्रदान की जाएगी।

2. संस्था को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित करने के लिए, इस मंत्रालय द्वारा शहरी नियोजन और डिजाइन में उत्कृष्टता केंद्र' के रूप में अकादमिक संस्थाओं को चिन्हित करने के लिए के लिए दिशानिर्देश (संलग्न) तैयार किए गए हैं।

3. शहरी नियोजन और डिजाइन के अकादमिक संस्थानों को उक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंड और समय सीमा के अनुरूप एक तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत करके प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

(हरीश चंद्र प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23063488

सेवा मे,
शहरी नियोजन और डिजाइन के अकादमिक संस्थानों के अध्यक्ष।

अनुलग्नक-II

<u>उत्कृष्टता केंद्र को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रपत्र:</u>

1. संगठन का नाम:
2. ई-मेल और फोन नंबर सहित पता:
3.स्थापना का वर्ष/पंजीकरण संख्या और तिथि:
4. पिछले 10 वर्षों में विभिन्न शिक्षण संकायों में उत्तीर्ण हुए छात्रों का वर्षवार डेटा:
5. क्या संगठन का अपना भवन है यदि हां, तो उस स्थान के उपस्कर, वाहन इत्यादि सहित उपलब्ध बुनियादी ढांचे का ब्यौरा दें, जिसको सीओई के रूप में मान्यता प्रदान के लिए अनुरोध किया गया है:
6. आवेदक संस्था द्वारा शुरू की जा रही परियोजनाओं के लिए केंद्र/राज्य/सरकार/वित्त पोषण एजेंसियों से कोई अन्य अनुदान प्राप्त किया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा दिया जाए:
7. आवेदक संस्था द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान मेधावी उपलब्धियों/पुरस्कारों आदि का ट्रैक रिकॉर्ड;
8. उत्कृष्टता केंद्र अपेक्षित से कार्य निष्पादन जिसके लिए मान्यता मांगी गई है:

क्र० सं०	**विशिष्ट विवरण**	**ब्यौरा**
1	• अन्य संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन/करार • उद्योग प्रतिभागिता के साथ सह-सृजित केंद्रों की संख्या	
2	• संचालित अनुसंधान परियोजनाओं/किए गए परामर्शी कार्यों की संख्या और उनका संक्षिप्त ब्यौरा	
3	• प्रत्येक हितधारक स्पष्ट भूमिकाओं के साथ संगठनात्मक संरचना • अकादमिक/प्रशिक्षक कर्मिको और स्थायी और संविदा आधार पर विभाजन (50% से अधिक कार्मिक स्थायी होने चाहिए)	
4	• सीओई की विभिन्न निर्दिष्ट गतिविधियों को संचालित करने के लिए अवसंरचना तथा उपलब्ध नवीनतम टूल्स, उपकरण	
5	• आयोजित कार्यशालाओं/सम्मेलनों की संख्या • विभिन्न लक्षित समूहों तक पहुंचने के लिए संचार रणनीति। • हाल ही में (पिछले पांच वर्षों में) छात्रों के अलावा उद्योग पेशेवरों के साथ हुई बैठकों का विवरण	
6	• पिछले पांच वर्षों में आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण	
7	• इन्क्यूबेशन केंद्र, यदि कोई हो • पिछले पांच वर्षों में इन्क्यूबेशन परियोजनाओं का विवरण • आस-पास के संस्थानों को दी गई नेटवर्किंग/सलाहकार सहायता का विवरण	
8	• प्रौद्योगिकी अवसंरचना जो प्रशिक्षण गतिविधियों में सहायता कर सकती है	

	• अद्यतन शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता	
9	• सीओई के लिए काम करने के लिए प्रस्तावित आवेदक संस्थान (पूर्णकालिक/अंशकालिक और संविदा) द्वारा नियुक्त पेशेवर कार्मिकों की संख्या	

निदेशक का नाम और हस्ताक्षर
मुहर सहित

अनुलग्नक-III

क. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. अनुलग्नक-2 के अनुसार आवेदन
2. गैर-सरकारी संगठन/संस्थान के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र, संगम ज्ञापन के ज्ञापन और संगठन के उपनियमों की सत्यापित प्रतियां।
3. पिछले 3 वर्षों के लेखा परीक्षित विवरण की सत्यापित प्रति।
4. पिछले पांच वर्षों में विशेष रूप से अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से संबंधित गतिविधियों के संबंध में एक नोट।
5. आवेदक संस्थाओं द्वारा विगत पांच वर्षों में प्रकाशनों की सूची, यदि कोई हो ।
6. प्रस्तावित उत्कृष्टता के क्षेत्र में काम करने के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को दर्शाने वाले दस्तावेज।

ख. आवेदन के साथ दिया जाने वाला प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि:

1. हम उत्कृष्टता केंद्र दिशानिर्देशों के सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे
2. हम ऐसी आवधिक/विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित होगी
3. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय अपने विवेक से, स्वयं या अपने अधिकृत

प्रतिनिधि के माध्यम से इस दौरान किसी भी समय उत्कृष्टता केंद्र द्वारा किए गए कार्यों और इसकी प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं।
4. अधोहस्ताक्षरी प्रदान की गई जानकारी और प्रस्ताव के साथ संलग्न दस्तावेजों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और इस संबंध में किसी भी चूक के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होंगे।
5. उत्कृष्टता केंद्र के तहत वित्त और की जा रही गतिविधियों के लिए अलग-अलग रिकॉर्ड रखे जाएंगे।

निदेशक/कुलपति का नाम और हस्ताक्षर
मुहर सहित

***